18—10—22	अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम नौरंगदेसर के खेत खसरा नम्बर 1282 तादादी 3.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 1283 तादादी 1. 34 हेक्टर, खसरा नम्बर 1559/1017 तादादी 1. 1850 हेक्टर व खसरा नम्बर 1561/925 तादादी 2. 4650 हेक्टर कुल तादादी 8.39 हेक्टर भूमि अपीलांट् की खातेदारी दर्जशुदा भूमि है, जिस पर मौके पर वर्तमान में मूंगफली की काश्त की हुई है। आराजी जैर अपीलांट् के पिता किसनाराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि रही है जिसमें कुल तादादी 12. 04 हेक्टर भूमि में से 8.39 हेक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र से अपीलांट् को प्राप्त हुई है तथा उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलांट् के पुत्र व पुत्री है। जिनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक वादपत्र धोषणात्मक, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया व साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए एकतरफा तौर पर वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की ली है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अदालत मातहत द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में रेस्पोडेन्ट्स अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर

अमादा है तथा अपीलांट् अपनी खातेदारी भूमि पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने व अन्य सुविधाएँ यथा केसीसी जारी करवाने में असमर्थ है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित नहीं की गई तो उसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित होगी। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–09–2022 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम नौरंगदेसर के खेत खसरा नम्बर खेत खसरा नम्बर 1282 तादादी 3.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 1283 तादादी 1.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 1559/1017 तादादी 1.1850 हेक्टर व खसरा नम्बर 1561/925 तादादी 2.4650 हेक्टर कुल तादादी 8.39 हेक्टर भूमि को आगामी पेशी दिनांक 13–10–2022 तक रहन बैय मुन्तकिल नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए अप्रार्थीगण/अपीलांट् को आगामी पेशी पर जरिये असालतन या वकालतन उपस्थित होने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते हुए धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित करने की मांग की गई है। इस संबंध में अपीलाधीन आदेश के अवलोकन के पश्चात् हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 01–09–2022 को एक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक के लिये जारी की गई है तथा अप्रार्थीगण/अपीलांट् को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गये है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित पाते है। अपीलांट् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(ए.एच.गौरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।